न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 22/2023

प्रार्थीगण :–

1. पुंजराज पुत्र वगताजी
2. बसन्तलाल पुत्र वगताजी जाति पुरोहित, नि0 साकरणा बेरा, बालोतरा, तह0 पचपदरा, जिला बाड़मेर
3. सांवलराम पुत्र गुमनाराम
4. माणकचन्द पुत्र उदाराम
5. सुरेश पुत्र उदाराम
6. सुशीला पुत्र उदाराम
7. कमला पत्नी उदाराम
8. गोविन्द पुत्र उदाराम
9. गौतम पुत्र उदाराम
10. महेन्द्र पुत्र उदाराम सभी जातियान माली, निवासी गांधीपुरा, बालोतरा, तह0 पचपदरा, जिला बाड़मेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रामप्रकाश पुत्र रूघाराम
2. रामस्वरूप पुत्र रूघाराम जाति चौधरी, निवासीयान मुख्य हाईवे रोड, साकरणा बेरा, बालोतरा
3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्युडी बालोतरा।
4. नगर पालिका बालोतरा जरीये आयुक्त
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत :– प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री जालाराम प्रजापत :– विप्रार्थी संख्या 1 से 2
3. सहा.अभि. सा.नि.वि बालोतरा :– विप्रार्थी संख्या 03
4. विप्रार्थी संख्या :– 04 व 05 एकपक्षीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:50 IST
Reason: SelfAttested

'आदेश' दिनांक : [illegible]

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा बालोतरा प्रथम, पटवार हल्का बालोतरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा , तहसील पचपदरा मे प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदरी, की भूमि

विवेक व्यास
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

खसरा सख्या 1770/1074 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, व प्रार्थी संख्या 03 ता 10 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1699/1074 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 व 2 वकालतन उपस्थित ने जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में गलत व दुर्भावनापूर्ण गलत तरीके से मनगढत तथ्य पेश किये है साथ ही विशेष उज्रात मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र खेत खसरा संख्या 1770/1074 के प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का व खसरा संख्या 1699/1074 प्रार्थीगण संख्या 3 से 10 खातेदारान है अतः दोनों के खातेदारान अलग–अलग होने से विधिवत रूप से अलग –अलग ही पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आज्ञापक है । खेत खसरा संख्या 1771/1074 के खातेदार आवश्यक पक्षकारन होते हुए भी उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है । अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाएं । विप्रार्थी संख्या –03 सहा. अभि. सा.नि.वि बालोतरा ने जबाब मे कथन किया कि प्रकरण राजस्व विभाग से सम्बन्धित है व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी । विप्रार्थी संख्या 04 व 05 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए [illegible] क[illegible]ांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा [illegible]ही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:50 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वकील ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा बालोतरा प्रथम, पटवार हल्का बालोतरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदरी, की भूमि खसरा सख्या 1770/1074 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, व प्रार्थी संख्या 03 ता 10 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1699/1074 रकबा 0.0506 हैक्टेयर मे पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र खेत खसरा संख्या 1770/1074 के प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का व खसरा संख्या 1699/1074 प्रार्थीगण संख्या 3 से 10 का है। इसलिए दोनों के खातेदारान अलग–अलग होने से विधिवत रूप से अलग –अलग ही पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आज्ञापक होने के कारण उक्त प्रार्थना काबिल खारिज योग्य । विप्रार्थी संख्या –03 सहा.अभि. सा.नि.वि बालोतरा ने बहस मे कथन किया कि प्रकरण राजस्व विभाग से सम्बन्धित है व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी ।

हमने विद्वान अधिवक्तागण को सुना व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिससे पाया कि मौजा बालोतरा प्रथम, पटवार हल्का बालोतरा, भू. अभिलेख निरीक्षक [illegible] बाल[illegible] , तहसील पचपदरा मे प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदरी, की भूमि खसरा संख्या 1770/1074 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, व प्रार्थी संख्या 03 ता 10 के खाते[illegible] की भूमि खसरा संख्या 1699/1074 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2078–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है, ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बालोतरा प्रथम, पटवार हल्का बालोतरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा , तहसील पचपदरा मे प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदरी, की भूमि खसरा सख्या 1770/1074 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, व प्रार्थी संख्या 03 ता 10 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1699/1074 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए पडोसी सहखातेदारान को पूर्व सूचना देकर नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगणको पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek V
Date: 2023.07.16 21:32:5
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 27.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा